



4268  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09782 / सी-7 / O.A. No. 593/2017 / 2024

दिनांक:- 23/04/24

To,

**The Registrar General,**  
Principal Bench,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.

**Sub.: Regarding submission of Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 20-12-2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti Vs UOI & Ors.**

Sir,

In compliance to the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal on 20-12-2023 in the matter of O.A. No. 593/2017, Paryavaran Suraksha Samiti Vs UOI & Ors., the cumulative report with regard to sewage management, action taken by UPPCB against defaulters is hereby attached on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board. It is requested to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

**Encl: As Above**

  
(Sanjeev Kumar Singh)  
Member Secretary

**REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION  
CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED  
20.12.2023**

That the Compliance Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the Order Dated 20-12-2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti Vs UOI & Ors.

That Hon'ble National Green Tribunal (hereinafter referred to as "NGT") dated 20.12.2023 has passed the order in O.A. No. 593/2017. The operative portion for the same is reproduced hereunder:

*" .... 58. We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."*

1. That it is respectfully submitted that the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) is regularly monitoring the quality of treated sewage from STP. The performance of Sewage Treatment Plants based on monitoring done by UPPCB in the month of February/March 2024 is summarized below:

S.No	Detail	Number
1	Total Installed STP	134
2	Operational STP	127
i	STP Achieving norms	112

ii	STP Not Achieving Norms	15
3	STP Not in Operation	7

The status chart of 134 STPs comprising installed capacity, utilized capacity and status of compliance with respect to standards is enclosed as **Annexure-1**. The details of 15 non-complying STPs with analysis data are enclosed as **Annexure 2**.

2. That it is respectfully submitted that 40 STPs were found to be defaulting and not achieving norms in the year 2022-23 and 2023-24 (Till March, 2024). UPPCB has imposed Environmental Compensation of ₹ 6.77 Cr. against these 40 defaulting STPs. That UPPCB has issued letters to District Magistrates for recovery of Environmental Compensation imposed against defaulting STPs. A list of 40 Defaulting STPs with data of imposed Environmental Compensation, deposited Environmental Compensation and letters to DMs is enclosed as **Annexure-3**.
3. That it is pertinent to mention that UPPCB vides letters dated 03-10-2022, 05-12-2022, and 15-09-2023 have issued directions to concerning the department for the installation of chlorination unit/appropriate devices in STPs to achieve the norms of fecal coliform in treated sewage. Copy of Letters dated 03-10-2022, 05-12-2022, and 15-09-2023 are enclosed as **Annexure-4**.
4. That it is submitted that, in compliance with the above directions of UPPCB 123 STPs has installed chlorination unit. There are 03 oxidation pond in Banda, Fatehgarh (Farrukhabad) & Chitrakoot and 01 constructed wetland in Bithoor (Kanpur).
5. That it is respectfully submitted that there are 377 untapped drains identified in the State. UPPCB has verified the status of intermediate treatment in these

drains as per the direction of the Hon'ble Tribunal. It has been found that bioremediation is being done in 203 drains and 174 drains are discharging untreated sewage into the rivers without any intermediate treatment.

6. That UPPCB has issued show cause notice to the concerning ULBs from where discharge is going into the river for imposition of Environmental Compensation of Rs. 5 Lakh per month per drain which is effective from 01-07-2020. Copy of show cause notice of UPPCB issued to ULBs discharging 174 untapped drains are collectively enclosed as **Annexure-5**.
7. That it is respectfully submitted that the UPPCB has filed prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended against U.P. Jal Nigam due to the discharge of untreated sewage in the court of learned Special Judicial Magistrate (Air & Water Pollution Control), Lucknow as per the details given below :

S. No.	Department/Officer prosecuted	Complained Number	Under Section Water Act	Current Status
1.	Nagar Palika Parisad Muzaffarnagar Kapildev Agrawal, Chairman Narendra Singh Tewatiya, Executive Officer Vijendra Kumar Pal, Assistant Engineer (Civil)	20/2010	43/44	Under trial
2.	Nagar Palika Parisad Mathura Shyam sundar Upadhyay, Chairman Janardhan Rai, Executive Officer S.S. Johri, Jal Kal Engineer	01/2011	43/44	Under trial
3.	Nagar Palika Parisad Khonda Makanpur Ghaziabad.	98500/2021	41	Under trial

	Krishnakant, Officer	Executive			
4.	Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur Sandeep Singh Visen, Assistant Engineer/Project Manager Shatrughan Singh, Assistant Engineer Rajesh Kumar, Assistant Engineer Raghvendra Pratap Yadav, Junior Engineer		2212/2021	43/44	Under trial

The above report is put up before Hon'ble National Green Tribunal for perusal and consideration please.

  
(Sanjeev Kumar Singh)  
Member Secretary, UPPCB

Status of Existing 134 STPs in UP								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Bichhpuri	Agra	Jal Nigam (Urban)	40	24.09	15.91	Complying	
2	Dandupura	Agra	Jal Nigam (Urban)	78	77.67	0.33	Complying	
3	Dandupura - 2	Agra	Jal Nigam (Urban)	24	17.8	6.2	Complying	
4	Devri Road	Agra	Jal Nigam (Urban)	12	8.29	3.71	Complying	
5	Jaganpur	Agra	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
6	Naglaburhi	Agra	Jal Nigam (Urban)	2.25	2.25	0	Complying	
7	Pilakhar	Agra	Jal Nigam (Urban)	10	10	0	Complying	
8	Manth Road	Mathura/ (Virndawan)	Jal Nigam (Urban)	8	7.6	0.4	Complying	
9	Mohammadpur/Biharipur	Firozabad	Jal Nigam (Urban)	67	47	20	Complying	
10	Mainpuri	Mainpuri	Jal Nigam (Urban)	23	17	6	Complying	
11	Manpur	Etah	Jal Nigam (Urban)	24	10.86	13.14	Complying	
12	Saifai	Etawah	Jal Nigam (Urban)	1.5	1.4	0.1	Complying	
13	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
14	Jajmau-3	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	5	0	5	Not Operational under maintainace	STP is presently Non-Operational, Flow of this STP has been diverted to 130 MLD STP
15	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	0	13	Not Complying	STP is Non-Operational due to unavailability of fund.
16	Aahar Road	Bulandshahar/ Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	0.81	0.81	0	Complying	
17	Shivanand Asharam	Bulandshahar/Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	1.76	1.7	0.06	Complying	
18	Dudaheda -3	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	70	70	0	Complying	
19	Indirapuram	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	74	74	0	Complying	
20	Dudaheda	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
21	Indrapuram-2	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
22	Kamalpur	Meerut	Jal Nigam (Urban)	72	72	0	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
23	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
24	Malhipur	Saharanpur	Jal Nigam (Urban)	38	38	0	Complying	
25	Pilkhuwa	Hapur	Jal Nigam (Urban)	3	3	0	Complying	
26	Benajeerpur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	14	13.89	0.11	Complying	
27	Paharigaon	Rampur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Not Operational Sewage line under maintanance	Non-Operational
28	Rampur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	5	4.98	0.02	Complying	
29	Loni	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	30	25	5	Complying	
30	Bijnor	Bijnor	Jal Nigam (Urban)	24	23.04	0.96	Complying	
31	Laxmital	Jhansi	Jal Nigam (Urban)	26	22	4	Complying	
32	Mahadev Jharkhandi	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	15	15	0	Complying	
33	Ramgarhtal	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	30	27	3	Complying	
34	Ramghat Ayodhya	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	12	12	0	Complying	
35	Ramghat Ayodhya- 2	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	6	2.5	3.5	Complying	
36	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
37	Daulatganj	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	42	42	0	Complying	
38	Daulatganj - 2	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
39	Kanwara Road	Banda	Jal Nigam (Urban)	4	2	2	Not Operational	
40	14 MLD Salori	Prayagraj	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
41	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	140	110	30	Complying	
42	Goithaha	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	120	47	73	Complying	
43	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	80	87	0	Complying	
44	Baniyapur	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Sewage Network Issue	Non-Operational
45	Modinagar	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	20	14	6	Complying	
46	Hapur	Hapur	Jal Nigam (Urban)	30	16	14	Complying	
47	Bulandshahar	Bulandshahar	Jal Nigam (Urban)	40	20	20	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
48	Vindhyachal	Mirzapur	Jal Nigam (Urban)	7	3.5	3.5	Complying	
49	Godwa Gadiyani_ Raebareli	Raebareli	Jal Nigam (Urban)	18	3	15	Complying	
50	Belha Pratapgarh	Pratapgarh	Jal Nigam (Urban)	8.95	6.9	2.05	Complying	
51	Aligarh	Aligarh	Jal Nigam (Urban)	45	11.5	33.5	Complying	
52	Bareilly	Bareilly	Jal Nigam (Urban)	35	19.8	15.2	Complying	
53	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	0	40	Not Complying	STP Works Completed but no discharge receiving at STP currently. After completion of House Connection work sewage will be reach at STP
54	Gorakhpur	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	5	4	1	Complying	
55	10.445 MLD STP near Tixi Temple	Etawah	Jal Nigam (Rural)	10.445	7.5	2.945	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
56	21 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	21	21	0	Complying	–
57	13.5 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	13.5	8.5	5	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
58	42 MLD, Sajari Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	42	22	20	Complying	Population in the vicinity of said STP has not been increased as per the previous assesment.
59	(a) Bithoor-Bhunni nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.6	0.6	0	–	–
	(b) Bithoor - Peshwa Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.1	0.1	0	–	–
	(c) Bithoor - Godara and Brahmavart Nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.08	0.08	0	–	–

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	(d) Bithoor - Lakshman Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.03	0.03	0	–	–
	( e) Bithoor - lav-kush Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.22	0.22	0	–	–
	( f) Bithoor - Kalvari STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.27	0.27	0	–	–
60	50 MLD STP Numayadahi	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	50	58.24	0	Complying	–
61	10 MLD STP Ponghat	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	10	12.71	0	Complying	–
62	25 MLD STP Kodra	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	25	28.48	0	Complying	–
63	60 MLD STP Rajapur	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60	76.51	0	Complying	–
64	29 MLD STP Salori-1	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	29	37.58	0	Complying	–
65	20 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	20	110.05	0	Complying	one outlet
66	60 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60			Complying	
67	10 MLD Ramnagar	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	10	9.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2033
68	8 MLD Bhagwanpur STP	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	8	10	0	Complying	–
69	50 MLD Ramana	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	50	50	0	Complying	–
70	6 MLD STP Garh Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	6	4.5	1.5	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
71	3 MLD STP Brijghat Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	3	2	1	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
72	6.8 MLD, Masani, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	6.8	6.8	0	Complying	–

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
73	14.5 MLD Trans-yamuna, Jamunapar, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	14.5	14.5	0	Complying	–
74	30 MLD Masani Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	30	30	0	Complying	–
75	16 MLD Trans Yamuna, Laxmi Nagar, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	16	16	0	Complying	–
76	04 MLD Vrindavan Near Pagal Baba Mandir, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	4	4	0	Complying	–
77	04 MLD Narora (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	4	3.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2032, it will run on full capacity upto 2032
78	1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1.5	1.9	0	Complying	–
79	01 MLD STP Zone-B Anoopshahar	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1	1.1	0	Complying	–
80	14 MLD Baghpat	Baghpat	Jal Nigam (Rural)	14	5	9	Complying	STP is designed for year 2036, it will run on full capacity upto 2036

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
81	58 MLD Moradabad	Moradabad	Jal Nigam (Rural)	58	34	24	Complying	STP is designed for year 2028 (58 MLD STP has been designed for the treatment of 135 LPCD discharge capacity, but only 93 LPCD water supply is being generated by the Municipal Corporation, Moradabad, due to which the STP is not able to function at its full capacity.)
82	15 MLD Kasganj	Kasganj	Jal Nigam (Rural)	15	15	0	Complying	
83	14 MLD PakkaPokhra	Mirzapur	Jal Nigam (Rural)	14	12.68	1.32	Complying	Rehabilitation is done under NG Program. Shall run at full capacity in May-2024
84	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch-31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area.These will increase the discharge at STP.
85	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 &
86	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
87	42 MLD NainiPrayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	42	38	4	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity upto 2033
88	14 MLD Phaphamau Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	14	15	0	Complying	STP is designed for year 2033 ,it will run on full capacity upto 2033
89	Pachhetiya, Jaunpur	Jaunpur	Jal Nigam (Rural)	30	25.5	4.5	Complying	STP is designed for year 2034, it will run on its full capacity upto 2034.
90	Panka, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	30	25	5	Complying	STP is designed for year 2037, it will run on full capacity up to 2037
91	Jhusi, Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	16	11	5	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity in 2033
92	Budhana	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Rural)	10	6.5	3.5	Complying	STP is designed for year 2037,it will run on full capacity up to 2037
93	Bichhpuri - 2	Agra	ADA	36	20	16	Complying	
94	Kalandi Bihar	Agra	ADA	4.5	2.3	2.2	Complying	
95	Near Viklang Kendra	Chitrakoot	NPP	3.42	2.24	1.18	Complying	
96	Firozabad	Firozabad	NPP	3	2.25	0.75	Complying	
97	Bapudham	Ghaziabad	GDA	56	1.5	54.5	Complying	
98	Govindpuram	Ghaziabad	GDA	56	11.8	44.2	Complying	
99	Indirapuram 3	Ghaziabad	GDA	56	38	18	Complying	
100	Morti Rajendra Nagar Extension	Ghaziabad	GDA	56	24	32	Complying	
101	Badalpur	Greater Noida	Greater Noida	2	2	0	Complying	
102	Ecotech 2nd	Greater Noida	Greater Noida	15	8	7	Complying	
103	Ecotech 3rd	Greater Noida	Greater Noida	20	16	4	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
104	Kasna	Greater Noida	Greater Noida	137	88	49	Complying	
105	Tronica City	Loni	UPSIDA	5	3.8	1.2	Complying	
106	Awass Vikas STP	Lucknow	Awass Vikas	37.5	9	28.5	Complying	
107	CG City	Lucknow	LDA	19	0	19	-	
108	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
109	Jalkal	Lucknow	Jalkal	6.5	4	2.5	Complying	
110	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
111	Ganga Nagar	Meerut	MDA	10	5	5	Complying	
112	Lohia Nagar	Meerut	MDA	10	1.5	8.5	Complying	
113	Major Dhyam Chand	Meerut	MDA	7	4.5	2.5	Complying	
114	Modipuram Tiraha	Meerut	MDA	5	5	0	Complying	
115	Pallavpuram	Meerut	MDA	7	6.5	0.5	Complying	
116	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
117	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
118	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
119	Saardapuri Phase 2	Meerut	MDA	6	6	0	Complying	
120	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
121	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
122	Shatabdi Nagar	Meerut	MDA	15	4.8	10.2	Complying	
123	Ved Vyaspur	Meerut	MDA	15	3.5	11.5	Complying	
124	MDA, New Moradabad	Moradabad	MDA	20	0	20	Not Operational No Sewage at Inlet	
125	Narora Atomic Power Plant	Narora	Narora Atomic Power Plant	2.25	1.5	0.75	Complying	
126	Sector-123	Noida	Noida	35	17	18	Complying	
127	Sector-168	Noida	Noida	50	23	27	Complying	

# 4281

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
128	Sector-50	Noida	Noida	25	15	10	Complying	
129	Sector-50-2	Noida	Noida	34	18	16	Complying	
130	Sector-54-2	Noida	Noida	33	14	19	Complying	
131	Sector-54-3	Noida	Noida	54	42	12	Complying	
132	STP 123	Noida	Noida	80	60	20	Complying	
133	STP 168	Noida	Noida	100	58	42	Complying	
134	DLW	Varanasi	BLW	12	6	6	Complying	
<b>TOTAL</b>				<b>4120.95</b>	<b>3107.06</b>	<b>1093</b>		

List of 15 Non-Complying STPs								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance ( w.r.t. standards )	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
2	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	0	13	Not Complying	STP is Non-Operational due to unavailability of fund.
3	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
4	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
5	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	0	40	Not Complying	STP Works Completed but no discharge receiving at STP currently. After completion of House Connection work sewage will be reach at STP
6	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch- 31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG. Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area. These will increase the discharge at STP.

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance ( w.r.t. standards )	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 & 43 MLD STPs, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG. Alongwith this UPJN(U) is also planning for sewer network saturation in this
8	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	
9	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
10	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
11	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
12	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
13	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
14	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
15	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
<b>TOTAL</b>				<b>852.46</b>	<b>687.94</b>	<b>164</b>		

## EC Imposed ( Oct. 2022 - Mar.2024)

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022 ) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
1	Ghaziabad	56 MLD Indirapuram Ghaziabad	M/s Va-Tech Wabag Ltd, Shakti Khand -4, Indirapuram, Ghaziabad	25.04.23 - 01.05.23	11.05.2023	262500	--	487500	1050000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03246/UPPCB/CL/641/STP Ghaziabad/2023-24 Date-23.11.23
				10.05.23 - 15.05.23	30.05.2023	225000				
2	Ghaziabad	56 MLD Trans Hindon (Indirapuram) Ghaziabad	M/s Va-Tech Wabag Ltd, Shakti Khand -4, Indirapuram, Ghaziabad	26.10.23 - 29.10.23	24.01.2024	150000	--	150000		--
3	Ghaziabad	70 MLD U.A.S.B.R. Dudahaida Vijay Nagar, Ghaziabad	Executive Engineer, Nirmaan Khand (First), UP Jal Nigam (Urban), C-9, Sector - 1, RDC, Rajnagar, Ghaziabad	18.01.23 - 24.01.23	01.03.2023	262500	--	412500	1050000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03246/UPPCB/CL/641/STP Ghaziabad/2023-24 Date-23.11.23
				26.10.23 - 29.10.23	24.01.2024	150000				
4	Banda	3.42 MLD Near Divyang kendra, Chitrakoot	Executive Engineer, Chitrakoot Dham Mandal, Jal Sansthan, Karvi, Chitrakoot	24.11.22 - 26.12.23	01.02.2023	330000	--	1720000	1720000	
				27.12.22 - 09.01.23	10.03.2023	140000				
				10.01.23 - 21.02.23	05.04.2023	710000				
				22.03.23 - 10.04.23	25.04.2023	200000				
				24.05.23 - 26.06.23	20.07.2023	340000				
5	Kanpur	130 MLD Jajmau, Kanpur	M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kanpur Nagar	04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	825000	-	8400000		RC letter sent to DM Ref. no.-H08108/UPPCB/CL/659/STP Kanpur/2023-24 Date-07.03.24
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000				
				24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	637500				
				10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1200000				
				11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	375000				
				21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	675000				
				11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500				
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000				
				07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	412500				

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
6	Kanpur	210 MLD, Bingawan Kanpur	M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kanpur Nagar	18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	412500		19087500	44925000	RC letter sent to DM Ref. no.-H07109/UppCB/CL /660/STP 210 MLD Bingawan Kanpur /2023-24 Date-19.02.24
				29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	637500				
				16.05.23 - 02.06.23	19.06.2023	675000				
				03.06.23 - 11.06.23	19.07.2023	337500				
				10.11.23 - 13.11.23	12.12.2023	150000				
				07.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	900000				
				31.10.22 - 25.11.22	29.12.2022	975000				
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000				
				24.12.22 - 12.01.23	01.02.2023	750000				
				13.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1087500				
				11.02.23 - 22.02.23	10.03.2023	450000				
				23.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	600000				
				11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500				
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000				
				07.04.23 - 14.04.23	03.05.2023	300000				
				15.04.23 - 26.04.23	11.05.2023	450000				
				27.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	712500				
				16.05.23 - 02.06.23	19.06.2023	675000				
				03.06.23 - 27.06.23	19.07.2023	937500				
				28.06.23 - 04.07.23	20.07.2023	262500				
				05.07.23 - 11.07.23	02.08.2023	262500				
				12.07.23 - 28.07.23	16.08.2023	637500				
				29.07.23 - 15.08.23	28.08.2023	675000				
				16.08.23 - 28.08.23	11.09.2023	487500				
				29.08.23 - 05.09.23	22.09.2023	300000				
				06.09.23 - 20.09.23	05.10.2023	562500				
				21.09.23 - 03.10.23	26.10.2023	487500				
				04.10.23-25.10.23	20.11.2023	825000				
				26.10.23 - 29.11.23	12.12.2023	1312500				
				30.11.23 - 08.12.23	24.01.2024	337500				
				09.12.23 - 23.01.24	12.02.2024	1725000				
				24.01.24 - 27.02.24	19.03.2024	1312500				
				04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	825000				
26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000								
24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	637500								
10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1200000								
11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	375000								
21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	675000								

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
7	Kanpur	43 MLD Jajmau, Kanpur	Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kanpur Nagar	11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500	--	11475000		/661/STP 43 MLD Jajmau Kanpur/2023-24 Date-06.02.24
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000				
				07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	412500				
				18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	412500				
				29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	637500				
				16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	675000				
				03.06.23 - 15.06.23	19.07.2023	487500				
				12.12.23 - 19.01.24	12.02.2024	1462500	--			
				20.01.24 - 02.03.24	19.03.2024	1612500				
8	Kanpur	5 MLD, Jajmau, Kanpur	Project Manager, Ganga Pollution Control Unit, UP Jal Nigam (Urban), Kanpur	04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	275000	-	5962500		RC letter sent to DM Ref. no.-H07108/UPPCB/CL /662/STP 05 MLD Jajmau Kanpur/2023-24 Date-19.02.24
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	350000				
				24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	212500				
				10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	400000				
				11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	125000				
				21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	225000				
				11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	262500				
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	75000				
				07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	137500				
				18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	137500				
				29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	212500				
				16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	225000				
				03.06.23 - 26.06.23	19.07.2023	300000				
				27.06.23 - 03.07.23	20.07.2023	87500				
				04.07.23 - 10.07.23	02.08.2023	87500				
				11.07.23 - 28.07.23	16.08.2023	225000				
				29.07.23 - 14.08.23	28.08.2023	212500				
				15.08.23 - 28.08.23	11.09.2023	175000				
				29.08.23 - 05.09.23	22.09.2023	100000				
				06.09.23 - 18.09.23	05.10.2023	162500				
				19.09.23 - 03.10.23	26.10.2023	187500				
04.10.23-25.10.23	20.11.2023	275000	-							
26.10.23 - 27.11.23	12.12.2023	412500								
28.11.23 - 08.12.23	24.01.2024	137500								
09.12.23 - 19.01.24	12.02.2024	525000								
20.01.24 - 23.02.24	19.03.2024	437500								

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
9	Farrukhabad	2.7 MLD Fatehgarh	Project Manager, Ganga Pollution Control Unit UP Jal Nigam (Urban), Farrukhabad	02.05.23 - 07.05.23	02.06.2023	60000	--	60000	60000	RC letter sent to DM Ref. no.-H05566/UPPCB/CL/649/STP Farrukhabad/2023-24 Date-12.01.2024
10	Kannauj	13 MLD Jalalpur, Amrapur, Kanpur Dehat	Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Urban Collectrate Tiraha, Farrukhabad	03.06.23 - 26.06.23	19.07.2023	660000	--	1780000	1780000	RC letter sent to DM Ref. no.-H05565/UPPCB/CL/648/STP Kannauj/2023-24 Date-12.01.2024
				27.06.23 - 04.07.23	20.07.2023	160000				
				05.07.23 - 17.07.23	02.08.2023	260000				
				26.07.23 - 16.08.23	28.08.2023	440000				
				17.08.23 - 29.08.23	11.09.2023	260000				
11	Prayagraj	25 MLD Kodra Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	25000	--	25000	87500	RC letter sent to DM Ref. no.-H05564/UPPCB/CL/663/STP Prayagraj Naini/2023-24 Date-12.01.2024
12		10 MLD Ponghat Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	25000	--	25000		
13		80 MLD Naini Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	37500	--	37500		
14	Meerut	7 MLD Pallavpuram 1 Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	--	150000	Total EC=825000/- Recovered=125000/- Balance=700000/-	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL/645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23
22.03.23 - 26.03.23				18.04.2023	125000	--				
15		10 MLD Lohiya Nagar Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	25000	125000		
22.03.23 - 26.03.23				18.04.2023	125000	--				
16		15 MLD Shatabdinagar Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	25000	75000		
22.03.23 - 26.03.23				18.04.2023	125000	50000				
17		15 MLD Vedvyaspuri Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	25000	125000		
22.03.23 - 26.03.23				18.04.2023	125000	--				
18		6 MLD Rakshapuram Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	--	150000		
22.03.23 - 26.03.23				18.04.2023	125000	--				
19	5 MLD Modipuram Tiraha Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	12500	--	75000			
22.03.23 - 26.03.23			18.04.2023	62500	--					
20		4.50 MLD Kalindi Vihar, Agra	Project Manager, Unit-35, C & DS, UPJN (Urban), Ag	02.09.23 - 15.09.23	22.09.2023	175000	--			RC letter sent to DM Ref. no.-H03210/UPPCB/CL

Sl No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
21	Agra	36 MLD Sadarwan (Bichpun) New , Agra	Project Manager, Unit-35, C & DS, UPJN (Urban), Agra	02.09.23 - 15.09.23	22.09.2023	175000	--	350000	350000	/643/STP Agra/2023-24 Date-23.11.23
22	Firozabad	03 MLD Firozabad	Jal Kal Nagar Nigam, Firozabad	20.12.22 - 03.01.23	01.02.2023	150000	--	540000	735000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03041/UPPCB/CL /644/STP Firozabad/2023-24 Date-17.11.23
				17.01.23 - 14.02.23	01.03.2023	290000				
				15.02.23 - 19.02.23	10.03.2023	50000				
				24.02.23 - 28.02.23	05.04.2023	50000				
23	Firozabad	67 MLD Mohammadpur, Biharipur, Firozabad	M/s Triveni Engineering & Industries Ltd., A-44, Hozari Complex, Phase - II Extension, Noida	29.12.22 - 10.01.23	01.02.2023	390000	195000 (17.02.2024)	195000	--	
24	Etawah	1.65 MLD Saifai (Paramedicals), Etawah	M/s Chaudhary Engineering Works, 467/559, Sarai Shekh Tikonia, Etawah	09.11.22 - 13.11.22	29.12.2022	50000	--	880000	880000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03212/UPPCB/CL /639/STP Saifai/2023-24 Date-23.11.23
				17.12.22 - 23.12.22	06.01.2023	70000				
				29.12.22 - 11.01.23	01.02.2023	140000				
				12.01.23 - 28.01.23 & 04.02.23 - 13.02.23	01.03.2023	270000				
				21.02.23 - 23.02.23	10.03.2023	30000				
				13.06.23 - 20.06.23	19.07.2023	80000				
				11.07.23 - 17.07.23	02.08.2023	70000				
				16.08.23 - 23.08.23	11.09.2023	80000				
				16.10.23-24.10.23	21.11.2023	90000				
25	Mainpuri	23 MLD STP at Mauja Odenya, Padaria, Mainpuri	Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Civil Lines, Firozabad	09.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	340000	--	1700000	1700000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03211/UPPCB/CL /640/STP Mainpuri/2023-24 Date-23.11.23
				17.12.22 - 24.12.22	06.01.2023	160000				
				25.12.22 - 10.01.23	01.02.2023	340000				
				17.01.23 - 14.02.23	01.03.2023	580000				
				15.02.23 - 24.02.23	10.03.2023	200000				
				25.02.23 - 28.02.23	05.04.2023	80000				
26	Bulandshahr	0.805 MLD Ahara Road, Zone-A, Anoopshahr	Executive Engineer, Nirmaan Khand, UP Jal Nigam (Urban), Bulandshahr	31.10.22 - 20.11.22	29.12.22	210000	--	350000		
				12.12.22 - 25.12.22	06.01.23	140000				
27	Bulandshahr	1.75 MLD Ahara Road, (Shivanand Ashram) Zone-B, Anoopshahr	M/s Va-Tech Wabag Ltd, Shakti Khand -4, Indirapuram, Ghaziabad	10.10.22 - 24.10.22	09.12.2022	150000	--	630000		RC letter sent to DM Ref. no.-H03245/UPPCB/CL /647/STP Bulandshahr/2023-24 Date-23.11.23
				25.10.22 - 20.11.22	29.12.2022	270000				
				12.12.22 - 26.12.22	06.01.2023	150000				
				27.12.22 - 01.01.23	01.02.2023	60000				

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
28		1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	M/s LC Infra Pvt Ltd, 1.5 MLD STP Near Shivanandan Ashram, Anoopshahr town (Zone A), Bulandshahr	04.09.23 - 18.09.23	05.10.2023	150000	--	500000	1910000	
				19.09.23 - 09.10.23	26.10.2023	210000				
				10.10.23-23.10.23	20.11.2023	140000				
29	Bulandshahr	01 MLD STP Zone-B Anoopshahar	M/s LC Infa Pvt Ltd, 1.0 MLD STP Near Sahamtau Ashram, Anoopshahr town (Zone B), Bulandshahr	04.09.23 - 10.09.23	05.10.2023	70000	--	430000		RC letter sent to DM Ref. no.-H03245/UPPCB/CL/647/STP Bulandshahr/2023-24 Date-23.11.23
				18.09.23 - 09.10.23	26.10.2023	220000				
				10.10.23-23.10.23	20.11.2023	140000				
30	Etah	24 MLD Manpur Etah	Executive Engineer, UP Jal Nigam, Etah	20.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	220000	220000/- (06.10.2023)	--	--	--
31	Kasganj	15 MLD Kasganj, Aligarh	Executive Engineer, UP Jal Nigam, Kasganj, Aligarh	18.11.22 - 22.11.22	29.12.2022	100000	--	100000	100000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03040/UPPCB/CL/646/STP Kasganj/2023-24 Date-17.11.23
32		345 MLD STP, Bharwara, Lucknow	M/s Suez India Pvt. Ltd., Titanium Shalimar Corporate Park, 704, 705-A & B, Pickup Building Rd, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	03.10.22 - 16.10.22	09.12.2022	525000	--	2325000		
				06.12.22 - 19.12.22	06.01.2023	525000				
				20.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	787500				
				10.01.23 - 22.01.23	01.03.2023	487500				
33	Lucknow	56 MLD STP, Daulatganj, Lucknow	M/s Suez India Pvt. Ltd., Titanium Shalimar Corporate Park, 704, 705-A & B, Pickup Building Rd, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	03.10.22 - 16.10.22	09.12.2022	525000	--	2325000	7862500	RC letter sent to DM Ref. no.-H05563/UPPCB/CL/657/34 5 MLD STP Lucknow/2023-24
				06.12.22 - 19.12.22	06.01.2023	525000				
				20.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	787500				
				10.01.23 - 22.01.23	01.03.2023	487500				

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022 ) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
35		37.5 MLD Awasthi vikas Parishad STP, Lucknow	M/s SN Envirotech Pvt. Ltd, F-90/32, Okhla Industrial Area Phase - 1, New Delhi	03.10.22 - 27.10.22	09.12.2022	937500	--	937500		Date-12.01.2024
36		6.5 MLD Awasthi vikas Parishad STP, Lucknow	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	03.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	700000	--	2275000		
				31.10.22 - 21.11.22	29.12.2022	550000				
				22.11.22 - 19.12.22	06.01.2023	700000				
				20.12.22 - 01.01.23	01.02.2023	325000				
37	Varanasi	12 MLD BLW STP Varanasi	M/s Deputy Chief Engineer, Banaras Locomotive Works, Varanasi.	07.11.23 - 28.11.23	12.12.2023	550000	--	1925000	1925000	--
				29.11.23 - 12.12.23	24.01.2024	350000				
				13.12.23 - 22.01.24	12.02.2024	1025000				
38	Mathura	6.8 MLD, Masani, Mathura	M/s Project Manager, 6.8 MLD, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural), Agra	07.11.23 - 28.11.23	12.12.2023	440000	--	440000	1440000	--
14.5 MLD Trans-yamuna, Jamunapar, Mathura		M/s Project Manager, 14.5 MLD, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural), Agra	31.10.23 - 28.11.23	12.12.2023	580000	--	580000	--		
40		2.76 MLD Goverdhan STP Mathura	M/s Executive Officer, 2.76 MLD, Nagar Panchayat Govardhan, Govardhan Mathura	31.10.23 - 28.11.23	12.12.2023	290000	--	420000		
	29.11.23 - 11.12.23			24.01.2024	130000	--				
<b>Total EC Imposed</b>						<b>67765000</b>	<b>5,40,000</b>			



4291  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 403246 UPPCB/CL/641/STP Ghaziabad/2023-24

दिनांक: 23/11/23

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
जनपद-गाजियाबाद,  
मो० नं०-9454417565

**विषय:** जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,  
कृपया जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 93394/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023 एवं संख्या-एच 94625/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक- 30.05.2023 तथा पत्र संख्या-एच 90115/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व प्रता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	गाजियाबाद	56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम	मैसर्स वा-टेक वाबैंग लिमिटेड शक्ति खंड-4 इन्दिरापुरम	11.05.2023	262500/-
				30.05.2023	225000/-
		70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर	अधिशायी अभियंता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जलनिगम (नगरीय), सी०-9, सेक्टर-1, आर०डी०सी०, राजनगर	01.03.2023	262500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				750000/- (रु० सात लाख पचास हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम पर दिनांक 11.05.2023 को रु० 262500/- (रु० दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) + दिनांक 30.05.2023 को रु० 225000/- (रु० दो लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा

70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद पर दिनांक 01.03.2023 को रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भूतदीय  
  
 (अजय कुमार शर्मा)  
 सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : -

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

  
 सदस्य सचिव

0/c  
  
 22-11-23 



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 408/08

UPPCB/CL/659/ STP 130 MLD Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 7-3-24

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद-कानपुर,

मो 0 नं-9454417554.

**विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86436/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86931/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88119/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90123/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90424/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91585/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92102/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92595/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93151/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93397/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94627/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95984/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023 एवं एच 97947/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कानपुर	मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड) 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	04.11.22 - 25.11.22	8,25,000/-
			26.11.22 - 23.12.22	10,50,000/-
			24.12.22 - 09.01.23	6,37,500/-
			10.01.23 - 10.02.23	12,00,000/-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
WebSite : www.uppcb.com

			11.02.23 - 20.02.23	3,75,000/-
			21.02.23 - 10.03.23	6,75,000/-
			11.03.23 - 31.03.23	7,87,500/-
			01.04.23 - 06.04.23	2,25,000/-
			07.04.23 - 17.04.23	4,12,500/-
			18.04.23 - 28.04.23	4,12,500/-
			29.04.23 - 15.05.23	6,37,500/-
			16.05.23 - 02.06.23	6,75,000/-
			03.06.23 - 11.06.23	3,37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।


भवदीय

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

  
सदस्य सचिव




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107109/UPPCB/CL/660/ STP 210 MLD, Bingawan, Kanpur/2023-24

दिनांक: 13/02/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-कानपुर,  
मो 0 नं-9454417554.

**विषय:** जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कानपुर के उल्लंघनकारी 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 85404/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022, एच 86438/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022, एच 86932/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90421/यू0पी0पी0 सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91586/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92100/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92593/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93149/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93398/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94629/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95988/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97946/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98774/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99460/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99979/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00549/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01132/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01535/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02333/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
WebSite : www.uppcb.com

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवा, कानपुर	मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	07-10-2022 - 03-10-2022	9,00,000/-
				31-10-2022 - 25-11-2022	9,75,000/-
				26-11-2022 - 23-12-2022	10,50,000/-
				24-12-2022 - 12-01-2023	7,50,000/-
				13-01-2023 - 10-02-2023	10,87,500/-
				11-02-2023 - 22-10-2023	4,50,000/-
				23-02-2023 - 10-03-2023	6,00,000/-
				11-03-2023 - 31-03-2023	7,87,500/-
				01-04-2023 - 06-04-2023	2,25,000/-
				07-04-2023 - 14-04-2023	3,00,000/-
				15-04-2023 - 26-04-2023	4,50,000/-
				27-04-2023 - 15-05-2023	7,12,500/-
				16-05-2023 - 02-06-2023	6,75,000/-
				03-06-2023 - 27-06-2023	9,37,500/-
				28-06-2023 - 04-07-2023	2,62,500/-
				05-07-2023 - 11-07-2023	2,62,500/-
				12-07-2023 - 28-07-2023	6,37,500/-
				29-07-2023 - 15-08-2023	6,75,000/-
				16-08-2023 - 28-08-2023	4,87,500/-
				29-08-2023 - 05-09-2023	3,00,000/-
06-09-2023 - 20-09-2023	5,62,500/-				
21-09-2023 - 03-10-2023	4,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				1,35,75,000/- (रु० एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,35,75,000/- (रू0 एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

*sk*

(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मौ0 न0 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

*sk*

सदस्य सचिव

*sk*

14.02.24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **H06595**

UPPCB/CL/661/ STP 43 MLD Jajmau Kanpur/2023

दिनांक: **6-2-24**

सेवा मे,

जिलाधिकारी,  
जनपद-कानपुर,  
मो० नं०-9454417554.

**विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 86437/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक-29.12.2022; पत्र संख्या-एच 86930/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-06.01.2023; पत्र संख्या-एच 88118/यू०पी० पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या-एच 90124/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० /22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90422/ यू०पी०पी०सी०बी० /सी०एल० /569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023; पत्र संख्या -एच 91584/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-05.04.2023; पत्र संख्या -एच 92101/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-18.04.2023; पत्र संख्या -एच 92594/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी० - ई०सी०/23, दिनांक-25.04.2023 पत्र संख्या- एच 93150/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० - सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-03.05.2023; पत्र संख्या- एच 93396/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023; पत्र संख्या -एच 94628/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-30.05.2023; पत्र संख्या -एच 95989/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.06.2023 एवं पत्र संख्या -एच 97945/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.07.2023; क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कानपुर	43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	29-12-2022	8,25,000/-
			06-01-2023	10,50,000/-
			01-02-2023	6,37,500/-
			01-03-2023	12,00,000/-

				10-03-2023	3,75,000/-
				05-04-2023	6,75,000/-
				18-04-2023	7,87,500/-
				25-04-2023	2,25,000/-
				03-05-2023	4,12,500/-
				11-05-2023	4,12,500/-
				30-05-2023	6,37,500/-
				19-06-2023	6,75,000/-
				19-07-2023	4,87,500/-
<b>कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)</b>					<b>84,00,000/-</b> (रु० चौरासी लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 84,00,000/- (रु० चौरासी लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

*u/c*   
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891791 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

*u/c*   
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107108 UPPCB/CL/662/ STP 05 MLD, Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 10/02/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-कानपुर,  
मो 0 नं-9454417554.

**विषय:** जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86435/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86929/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90423/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91583/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92596/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93152/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93395/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94690/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97943/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97987/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98773/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99461/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99978/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00548/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01131/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01538/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02334/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमरू, कानपुर	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, यू०पी० जल निगम (नगरीय) कानपुर	04.11.22 - 25.11.22	2,75,000/-
				26.11.22 - 23.12.22	3,50,000/-
				24.12.22 - 09.01.23	2,12,500/-
				10.01.23 - 10.02.23	4,00,000/-
				11.02.23 - 20.02.23	1,25,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	2,25,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	2,62,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	75,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	1,37,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	1,37,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	2,12,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	2,25,000/-
				03.06.23 - 26.06.23	3,00,000/-
				27.06.23 - 03.07.23	87,500/-
				04.07.23 - 10.07.23	87,500/-
				11.07.23 - 28.07.23	2,25,000/-
				29.07.23 - 14.08.23	2,12,500/-
				15.08.23 - 28.08.23	1,75,000/-
29.08.23 - 05.09.23	1,00,000/-				
06.09.23 - 18.09.23	1,62,500/-				
19.09.23 - 03.10.23	1,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				41,75,000/- (रु० इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 41,75,000/- (रू0 इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो0 न0 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

  
सदस्य सचिव

  
14.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/649/ STP-Farrukhabad/2023

दिनांक: 12/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-फर्रुखाबाद  
मो० नं०-9454417552

विषय: जनपद-फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 95068/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी०&सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	फर्रुखाबाद	2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), फर्रुखाबाद।	60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				60,000/- (रु० साठ हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 60,000/- (रु० साठ हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

*sk*  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० नं० 7839891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

*sk*  
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : UPPCB/CL/648/ STP-Kannauj/2023

दिनांक: 12/1/24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,  
जनपद-कन्नौज,  
मो 0-9454417555.

विषय: जनपद-कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 97942/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-19.07.2023; पत्र संख्या-एच 97988/ यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-20.07.2023; पत्र संख्या-एच 98775/यू0पी0 पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 02.08.2023; पत्र संख्या-एच 99980/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 28.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00547/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	कन्नौज	13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) नगरीय कल्क्ट्रेट तिराहा, फर्रुखाबाद	19.07.2023	6,60,000/-
			20.07.2023	1,60,000/-
			02.08.2023	2,60,000/-
			28.08.2023	4,40,000/-
			11.09.2023	2,60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 105564 UPPCB/CL/663/ STP-Prayagraj Naini/2023

दिनांक: 12/7/24

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
जनपद-प्रयागराज  
मो0 नं0-9454417517

**विषय:** जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-03 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-03 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

*sk*  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज मो0 नं0 0532-2569727 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, प्रयागराज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

*sk*  
सदस्य सचिव

जनपद- प्रयागराज में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1		25 एमएलडी कोदस प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि०, गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच 90846/यू०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22 दिनांक 20.03.2022	25,000/-
2	प्रयागराज	10 एमएलडी पौनघाट प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि०, गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90847/यू०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22 दिनांक 20.03.2023	25,000/-
3		80 एमएलडी नैनी प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि०, गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90848/यू०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22 दिनांक 20.03.2023	37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					87,500/-

Hosh

Pec

H

G



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

H03475

UPPCB/CL/645/STP Meerut/2023-24

दिनांक:

30/11/23

सेवा मे,

जिलाधिकारी,  
जनपद- मेरठ  
मो0 नं0-9454417566

**विषय:** जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ मो0 न0 7839891746 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मेरठ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

etc  
30-11-23  
30/11/2023

## जनपद- मेरठ में एसाटीपीओ के विरुद्ध अभियोजित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व परत जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अभियोजित की गई है	अभियोजित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अभियोजित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	बोर्ड में जमा की गयी पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)
0								
1		7 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ पल्लवपुरम केज-1	मैसर्स टेकनो इकोनॉमिक्स सर्विसेज, जे-7 शाकेत, नई दिल्ली।	05.04.2023	एच 91588 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
2		10 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ जॉडिया नगर	मैसर्स यातावरण टेकनो-158-1 वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा।	05.04.2023	एच 91582 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
3		15 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ सरावडी नगर, मेरठ	मैसर्स यातावरण टेकनो-158-1 वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा।	05.04.2023	एच 91580 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
4	मेरठ	15 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ वेदव्यासपुरी, मेरठ	मैसर्स यातावरण टेकनो-158-1 वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा।	05.04.2023	एच 91581 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
5		06 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ रक्षापुरम, मेरठ	मैसर्स स्वयंरुम इन्वायरोक्लीन सिस्टम, बी-243 मोहन गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110059	05.04.2023	एच 91590 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
5		05 एम0एल0डी0 एसाटीपीओ मोदीपुरम शिराहा, मेरठ	मैसर्स आर0सी0पी0 डेवलपर्स सि0, 109 सिटी सेंटर, बच्चा पार्क, मेरठ।	05.04.2023	एच 91591 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	12500/-	-	12500/-
5				18.04.2023	एच 92124 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एसाटीपीओ & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	62500/-	-	62500/-

कुल अभियोजित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

(रु० आठ लाख पच्चीस हजार भाज)

(रु० एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

(रु० सात लाख मात्र)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



**4309**  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **403210** UPPCB/CL/643/STP Agra2023-24

दिनांक: **23/1/23**

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
जनपद-आगरा,  
मो० नं०-9454417509

**विषय: जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपुरी न्यू), आगरा के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपुरी न्यू), आगरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 01134/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23 एवं पत्र संख्या-एच 01133/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	आगरा	4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार	प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट-35, सी०एण्ड०डी०एस०, यू०पी० जल निगम (नगरीय)	175000/-
		36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपुरी न्यू), आगरा		175000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				350000/- (रु० तीन लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपुरी न्यू), आगरा पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ

इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड  
UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:-यथोपरि।

भारतीय  
A

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा (मो० न० 7839891805) को इस निर्देश के  
साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, आगरा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी  
कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

the  
press

Q



**4311**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**



संदर्भ संख्या: **HO304**

UPPCB/CL/644/STP Firozabad/2023-24

दिनांक: **17/1/23**

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-फिरोजाबाद,  
मो० नं०-9454417541

**विषय: जनपद-फिरोजाबाद के उल्लंघनकारी 03 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 03 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद पत्र संख्या-एच 88124/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90122/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90426/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या-एच 91588/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 05.04.2023, के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	फिरोजाबाद	3 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद जलकल नगर निगम, फिरोजाबाद।	01.02.2023	150000/-
			01.03.2023	290000/-
			10.03.2023	50000/-
			05.04.2023	50000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				540000/- (रु० पाँच लाख चालीस हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 03 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद पर दिनांक 01.02.2023 को रू0 150000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 290000/- (रू0 दो लाख नब्बे हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) + दिनांक 05.04.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भिवदीय  
A

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

o/c  
Aca

A

4313



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/639/1.65MLD Saifai/2023-24

दिनांक:

23/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-इटावा,  
मो० नं०-9454417551.

**विषय: जनपद-इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सैफई (पैरामेडिकल्स) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद- इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सैफई (पैरामेडिकल्स) पत्र संख्या- एच 86441/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 29.12.2022, पत्र संख्या-एच 86927/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 06.01.2023, पत्र संख्या-एच 88125/यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90121/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/ 569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90427/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023, पत्र संख्या-एच 97944/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 19.07.2023, पत्र संख्या- एच 98776/यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 02.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00551/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)	
1	इटावा	1.65 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सैफई (पैरामेडिकल्स)	मेसर्स चौधरी इंजीनियरिंग वर्क्स, 467/559, सरई शेख, तिकोनिया, इटावा	29.12.2022	50000/-
				06.01.2023	70000/-
				01.02.2023	140000/-
				01.03.2023	270000/-
				10.03.2023	30000/-
				19.07.2023	80000/-
				02.08.2023	70000/-
				11.09.2023	80000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				790000/- (रु० सात लाख नब्बे हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफर्ड (पैरामेडिकल्स) पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र), दिनांक 06.01.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 01.02.2023 को रू0 140000/- (रू0 एक लाख चालीस हजार मात्र), दिनांक 01.03.2023 को रू0 270000/- (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र), दिनांक 10.03.2023 को रू0 30000/- (रू0 तीस हजार मात्र), दिनांक 19.07.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र), दिनांक 02.08.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 11.09.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, इटावा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव

07/11

22.11.23





**4315**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**



संदर्भ संख्या: **40321** UPPCB/CL/640/STP Mainpuri/2023-24

दिनांक: **23-11-23**

सेवा में,  
 जिलाधिकारी,  
 जनपद-मैनपुरी,  
 मो० नं०-9454417511

**विषय: जनपद-मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 86440/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-29.12.2022; पत्र संख्या-एच 86928/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-06.01.2023; पत्र संख्या-एच 88122/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या-एच 90120/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023; पत्र संख्या-एच 90425/यू०पी० पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या-एच 91587/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 05.04.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	मैनपुरी	23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी अधिशाषी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सिविल लाइन, फिरोजाबाद।	29.12.2022	340000/-
			06.01.2023	160000/-
			01.02.2023	340000/-
			01.03.2023	580000/-
			10.03.2023	200000/-
			05.04.2023	80000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				1700000/- (रु० सत्रह लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 23 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 06.01.2023 को रू0 160000/(रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) + दिनांक 01.02.2023 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 580000/- (रू0 पांच लाख अस्सी हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 200000/- (रू0 दो लाख मात्र) तथा दिनांक 05.04.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय  
A

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

A

सदस्य सचिव

PC  
22.11.23

P



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

403245

UPPCB/CL/647/STP Bulandshahr/2023-24

दिनांक:

23/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-बुलन्दशहर  
मो0 नं0-9454417563

**विषय: जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर मो0 न0 7839891730 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

22.11.23

जनपद- बुलन्दशहर में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1		0.805 एम०एल०डी० आहारा रोड, जोन-ए, अनूपशहर, अक्षिषाही अभियंता, निर्माणखण्ड, यू०पी० जल निगम (नगरीय), बुलन्दशहर	29.12.2022	एच 86433 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 29.12.2022	210000/-
			06.01.2023	एच 86934 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 06.01.2023	140000/-
2	बुलन्दशहर	1.75 एम०एल०डी०, आहारा रोड, (शिवानंद आश्रम), जोन-बी, अनूपशहर मैसर्स बा-टेक, बाबाग लि०, शक्तिखण्ड-4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	09.12.2022	एच 85405 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 09.12.2022	150000/-
			29.12.2022	एच 86434 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 29.12.2022	270000/-
			06.01.2023	एच 86933 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 06.01.2023	150000/-
			01.02.2023	एच 88120 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 01.02.2023	60000/-
3		1.5 एम०एल०डी०, अनूपशहर, जोन-ए (एन०जी०आर०बी०ए०) मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, 1.5 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, नियर शिवानंद आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-ए) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01536 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 05.10.2023	150000/-
			26.10.2023	एच 02332 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 26.10.2023	210000/-
4		01 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जोन-बी, अनूपशहर मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, 1.0 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, नियर-सोहमताऊ आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-बी) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01537 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 05.10.2023	70000/-
			26.10.2023	एच 02335 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 26.10.2023	220000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)					1630000/- (रु० सोलह लाख तीस हजार मात्र)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 403040

UPPCB/CL/646/STP ALIGARH (KASGANJ)/23-24

दिनांक: 17/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद- कासगंज,  
मो 0 नं-9454417516

**विषय:** जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, कासगंज, अलीगढ़ के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, कासगंज के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच 86442/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	कासगंज	15 एम0एल0डी0, कासगंज, अलीगढ़ अधिशाषी अभियंता, यू0पी0 जल निगम, कासगंज, अलीगढ़	29.12.2022	100000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				100000/- (रु0 एक लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 100000/- (रु0 एक लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

*(Signature)*

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (मो 0 नं 9454417513) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कासगंज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

*(Signature)*

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023

दिनांक:

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
जनपद-लखनऊ  
मो० नं०-9415005000

**विषय:** जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

*sk*  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, मो० न० 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

*sk*  
सदस्य सचिव

जनपद-लखनऊ में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	लखनऊ	345, एमएलडी एसटीपी, भरवारा, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85403 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 86926 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88126 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90119 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
2	लखनऊ	56 एमएलडी एसटीपी, दौलतगंज, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85401 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 86924 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88127 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90118 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
3	लखनऊ	37.5 एमएलडी एसटीपी, आवास विकास परिषद, लखनऊ। मेसर्स एस0एन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफ- 90 / 32, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली।	09.12.2022	एच 85400 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	9,37,500/-
4	लखनऊ	6.5 एमएलडी एसटीपी, आवास विकास परिषद, लखनऊ। मेसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लिमिटेड, 109, सिटी सेन्टर, बच्चा पार्क, मेरठ।	09.12.2022	एच 85399 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	7,00,000/-
			29.12.2022	एच 86439 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 29.12.2022	5,50,000/-
			06.01.2023	एच 86925 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	7,00,000/-
			01.02.2023	एच 88128 / यू0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	3,25,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					78,62,500/-

Hoshi

Ape

A

A



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.  
Ref... 1184654 / STP/CL/235 / 2021-2022 vol-1

दिनांक  
Date ... 3-10-22

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, (नगरीय)  
उ०प्र० जल निगम,  
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ  
उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक, (ग्रामीण)  
उ०प्र० जल निगम,  
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,  
उ०प्र०।

आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास विकास परिषद,  
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत आपको निर्देश जारी किये गये।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

o/c Ak...

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विन्हुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720675  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 39615 / Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
नगर विकास विभाग  
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन,  
लखनऊ।

**विषय:** सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचलको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 'उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें'।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डइलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppecb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppecb.com  
Web Site : www.unpcb.com



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 67396/16 | oppcb | CL/569 | STPB CETP-EC/22

दिनांक  
Date ..... 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
आवास  
509, पंचम तल, लोक भवन,  
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।  
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस0टी0पी0) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस0टी0पी0) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ0प्र0 में संचालित एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जाये"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डहोल्डिंग्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

A  
सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... 39.6/17 /uppcb/CL/SCG/STP&amp;CE/ETP/EC/22

दिनांक

Date .05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग,  
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,  
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

**विषय:** सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानको के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

  
सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या / UPPCB/STP/CL/235/22-23 (Vol.II)  
सेवा में,

दिनांक 15-9-23

आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास विकास परिषद,  
महात्मा गांधी मार्ग,  
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)  
उ०प्र० जल निगम,  
6, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)  
उ०प्र० जल निगम,  
6, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

**विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22 /वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अंसतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भब्रस

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या **4327** /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)  
सेवा में,

दिनांक: **15-9-23**

प्रमुख सचिव,  
नगर विकास विभाग,  
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन  
लखनऊ।

**विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39615/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डइलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भयदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।।

सदस्य सचिव



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या  
सेवा में,

UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)

दिनांक: 15-9-23

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,  
उ०प्र० शासन,  
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,  
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

**विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39617/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : G/4162 /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)  
सेवा में,

दिनांक 15-9-23

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उ०प्र० शासन,  
509, पंचम तल, लोक भवन,  
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

**विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39616/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अंसतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।  
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भववीय  
(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

**प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-**

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

संदर्भ सं- 1109437/सी-4/एनजीटी-70/2024

दिनांक - 13/04/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, आगरा।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि पूर्व में माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से प्राप्त आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक-एच०१४२८/सी-४/सा-११-८४७/का०ब०नो०/२०२३, दिनांक २९.०३.२०२३ के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के विरुद्ध निम्न ८ ड्रेन्स के विरुद्ध रू० ९,३५,००,०००/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था तथा प्रकरण पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रक्रियाधीन है:-

क्र०सं०	यमुना नदी में मिलने वाले नालों का विवरण	बायोरेमिडियेशन कार्य प्रारम्भ की तिथि	दिनांक ०१.०४.२०२० से बायोरेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ किये जाने तक कुल (माह) (मा० एन०जी०टी० नं०-५९३/२०१७ पारित आदेश दिनांक २८.०८.२०१९ के अनुसार)	रू० ५.० लाख प्रतिमाह प्रति नाला की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रू०)
1.	ताज ईस्ट ड्रेन (कोल्हाई)	०१.०२.२०२३	३३	१,६५,००,०००/-
2.	मटोला नाला	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
3.	वाटर वर्क्स ड्रेन	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
4.	नरायच ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
5.	भैरो नाला	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
6.	बूढ़ी का नगला ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
7.	अनुराग नगर ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
8.	पीलाखार ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रू०) -				९,३५,००,०००/-

.....क०प०उ०

T.C./12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 &amp; 2720681 - Fax: 0522 - 2720764, Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्र संख्या-44/एल-181/2024, दिनांक 13.04.2024 के माध्यम से प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में वर्तमान में नगर निगम, आगरा के कार्यक्षेत्र में स्थित 7 Untapped Drains के माध्यम से अशोधित सीवेज सीधे यमुना नदी/सतही जल स्रोत में निरतारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/नदी/सतही जल के दूषित होना सम्भावित है। उक्त 7 Untapped Drains का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अनटैप्ड ड्रैनेज का नाम	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की तिथि
1.	इण्डस्ट्रियल एरिया ड्रेन	दि० 01.07.2020 से
2.	पीलाखार ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
3.	नरायण ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
4.	बूढ़ी का नगला ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
5.	बेलनगंज ब्रिज	दि० 01.07.2020 से
6.	बेलनगंज काली मन्दिर ड्रेन	दि० 01.07.2020 से
7.	बेलनगंज पुलिस चौकी ड्रेन	दि० 01.07.2020 से

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा दी गई सूचना दिनांक 13.04.2024 के अनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा के विरुद्ध तालिका में अंकित दिनांक से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित 7 Untapped Drains हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 13.04.2024 के अनुक्रम में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा के विरुद्ध उनके कार्यक्षेत्र में स्थित उपरोक्तानुसार तालिका-क में वर्णित दिनांक से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक 7 Untapped Drains हेतु प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

संदर्भ सं०- 1109436 / सी-4/एनजीटी-70/2024

दिनांक- 13/04/2024

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
बुलन्दशहर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के कार्यक्षेत्र में स्थित 8 Untapped Drains के माध्यम से अशोधित सीवेज सीधे काली नदी/सतही जल स्रोत में निस्तारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/नदी/सतही जल के दूषित होना सम्भावित है। उक्त 8 Untapped Drains का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अनटैप्ड नाले का नाम
1.	आदिल नगर-2
2.	शनिदेव मन्दिर के पीछे
3.	ब्रिज धमेड़ा रोड
4.	चांदबारी रोड
5.	चील घाट
6.	देवीपुरा
7.	कसाईबाड़ा ड्रेन
8.	नरसल घाट ड्रेन

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

.....क०प०उ०

T.C./12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित पत्र सं०-21/ओजी-65/2024, दिनांक 12.04.2024 के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उक्त वर्णित 8 Untapped Drains हेतु रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के अनुक्रम में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध उनके कार्यक्षेत्र में स्थित उपरोक्तानुसार 8 Untapped Drains हेतु दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

o/c  
Jr



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09451 / सी-6/सो. 876/24

दिनांक:- 13/04/2024

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
वाराणसी नगर निगम,  
जनपद-वाराणसी।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक 36/एन0जी0टी0 ओ0ए0 सं0 483/2022/2024-25 दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वरुणा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Durga Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम वाराणसी के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त वाराणसी नगर निगम वाराणसी द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड नालों से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम वाराणसी को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09453/सी-6/ली०-876/24

दिनांक:- 13/04/2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकाारी,   
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़,   
जनपद-आजमगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से तमसा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तमसा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Shiv mandir saray, Mandraj, pallini
2.	Narauli U/S drain
3.	Narauli U/S drain
4.	Behind By pass raidarpur drain
5.	Near DAV Degree college Drain
6.	Before Kundanghat Bridge Drain
7.	Dalal ghat Jama masjid Drain
8.	Dharmu drain
9.	Gulami ka pura masjid k paas
10.	Dalalghat Hathiya pul ke
11.	Khairatpur Nala
12.	Grand Hospital Nala
13.	Sidhari Nala Purana Pul
14.	Collectorate Office Nala
15.	Durga Talkies Thandi Road ka nala
16.	Rahul Nagar Madya ka Nala
17.	Kaleem Ganj Nala

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं—

8..... Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2019, directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से तमसा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

4338

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- 409452/सी-6/साठ०३६/२५

दिनांक:- 13/04/2024

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन,  
जनपद-मऊ।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से तमसा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तमसा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Bheeti Vadi Kot
2.	Bheeti Vadi Kot - 01
3.	Bheeti PWD Bridge
4.	Bheeti PWD Bridge - 01
5.	Bheeti PWD Bridge 02
6.	Sati Ghat
7.	Aurangabad Khatik Tola Nanhora
8.	Aurangabad Idgah
9.	Navpura Paschim
10.	Belava Ghat

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

.....क०प०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)



ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commission. 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 1. lakhs per month per STP.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से तमसा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-



4340  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- 1109455/सी-6/सा 876/24

दिनांक:- 13/04/2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, बलिया,  
जनपद-बलिया।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, बलिया से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Kathar Nala at the around of Ballia city

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, बलिया के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, बलिया द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बलिया के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, बलिया के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रॉ ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा : उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

4342  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09456/सी-6/सां-876/24

दिनांक:- 13/04/2024  
पंजीकृत

सेवा में,  
अधिकासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, बड़हलगंज  
जनपद-गोरखपुर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के पत्रांक 65/सां0-345/2024 दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घाघरा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Kanoongo ghat drain, Barhalganj

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



संदर्भ सं०- 1109454/सी-6/सो 876/24

दिनांक:- 13/04/2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, दोहरीघाट,  
जनपद-मऊ।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

*".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."*

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, दोहरीघाट, से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घाघरा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Nawapura Ahirauti

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

*8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:*

*"XII. Directions:*

*47. We now sum up our directions as follows:*

*i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.*

*ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."*

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, दोहरीघाट के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....क०प०उ०

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, दोहरीघाट द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, दोहरीघाट के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नालों से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्सवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, दोहरीघाट के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दोहरीघाट को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Lifestyle for Environment

संदर्भ सं- 409595 / सी-6/सकाय- 076/2024

दिनांक- 15/04/24  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, मगहर,  
जनपद-संतकबीर नगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्रांक 34/सा0-11/न0ठे0अ0/बस्ती/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आमी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Magahar Nala, Kabir Chaurha
2.	Nagar Panchyat Magahr Nala, Near Rail Bridge

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बस्ती द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।


T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से आमी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।


उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



संदर्भ सं- 109527/सी-6/सा0 876/2024

दिनांक:- 15-04-24

पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद,  
जनपद-संतकबीर नगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्रांक 33/सा0-11/न0ठ0अ0/बस्ती/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आमी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Sarahi Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बस्ती द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।


T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि वयों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नालों से आमी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

OL

पत्रांक संख्या- H 09450 / सी-5 / 183 / ओ०ए० नं०-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशारी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज,  
उन्नाव।

C-5

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्रांक-22/सा०-92/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Railway Bridge Drain
2	Srinagar Drain

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं पर रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित, ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

०१



पत्रांक संख्या- H 09449 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, मानिकपुर,  
प्रतापगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35/जे-5/जी/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Post office Nala
2	Raja Hela Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को विरुद्ध सीयेज का एसओटीपीओ के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ज़ेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उओप्रओ जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओओएओ संओ-८९३/२०१७ पर्यावरण सुरक्षा समिति व अम्प ब्रानाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक २१.०५.२०२० के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को विरुद्ध दिनांक ०१.०७.२०२० से सीयेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये ८.० लाख प्रति ज़ेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।”

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-५

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती १५ दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-५

२

04.2024 के माध्यम  
से होने तक



4354  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक संख्या- H 09448 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत, डलमऊ,  
रायबरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35/जे-5/जी/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है-

S. No	Name of Drain
1	Busda Ghat ka Nala/(Sherandajpur)/ Baruda Ghat Drain
2	Muskatpal Nala
3	Nala between Bada Math - Chhota Math
4	Raja Tiloi Ghat Nala( Gaora Ghat)
5	Shivala Ghat Nala
6	Soarakh Ghat Muroop Nala/(Tikaitganj)/Sadak Ghat Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

...2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: [info@uppcb.in](mailto:info@uppcb.in) - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, डलमऊ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 06 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5





पत्रांक संख्या- H 09450 / सी-5 / 183 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज,  
उन्नाव।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्रांक-22/सा0-92/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Railway Bridge Drain
2	Srinagar Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के मा  
 नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण  
 तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं पर रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति  
 अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा  
 प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान  
 करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज,  
 उन्नाव को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा  
 समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी  
 अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के  
 शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण  
 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में  
 उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
 भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी  
 अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति  
 अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड  
 मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

०/२



पत्रांक संख्या- H 09449 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, मानिकपुर,  
प्रतापगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35/जे-5/जी/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Post office Nala
2	Raja Hela Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, मानिकपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।”

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5





पत्रांक संख्या- H 09448 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत, डलमऊ,  
रायबरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35 / जे-5 / जी / 2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Busda Ghat ka Nala/(Sherandajpur)/ Baruda Ghat Drain
2	Muskatpal Nala
3	Nala between Bada Math - Chhota Math
4	Raja Tiloi Ghat Nala( Gaora Ghat)
5	Shivala Ghat Nala
6	Soarakh Ghat Muroop Nala/(Tikaitganj)/Sadak Ghat Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

....2

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, डलमऊ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 06 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

संदर्भ सं०

Ref. No. H09441

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024

Date .....

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर,  
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिफ्ट कैनल ड्रेन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद-मिर्जापुर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going

Nagar Nigam 11s direction for CCRP (2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.in.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.up.gov.in



activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020...

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित अनटैप्ड ड्रेन हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. ....H09443.....

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024

Date .....

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, राजापुर,  
जनपद-चित्रकूट।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

"..... We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में बेकल बाबा ड्रेन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8..... Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.urncb.un.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.up.gov.in

activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक बेकल बाया ड्रेन जो कि अनटैप्ड है, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले से यमुना नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

संदर्भ सं०

Ref. No

1409522

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक

Date

15/04/24

By Post

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
प्रयागराज।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जनपद-प्रयागराज में निम्नलिखित 3 ड्रेन्स, जिनमें वर्तमान में शून्य उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण इन नालों में बायो रेमेडियेशन पद्धति से उपचार नहीं किया जा रहा है। उक्त नालों की टैपिंग का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है। वर्षा ऋतु के दौरान अशोधित सीवेज उत्प्रवाह उक्त ड्रेन्स के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होना सम्भावित है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Karela Bagh Drain
2	Karela Bagh Drain A-1
3	Karela Bagh Drain A-2

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already

Nagar Nigam 33a direction for CCRP (2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.up.gov.in



directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of the Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण यमुना नदी के दूषित होने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

संदर्भ सं०  
Ref. No. H.09942

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024  
Date .....

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद,  
जनपद-फर्रुखाबाद।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

"..... We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना स्वामाविक है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Cantt Nala
2	Hathikhana Nala
3	Bhairoghat drain
4	Amethi Kohna
5	Pakkapul

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8..... Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.un.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.un.gov.in

directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स जो कि अनटैप्ड अथवा आंशिक टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/आंशिक टैप्ड नालों से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

4370



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०-H09444/सी-7/विधि-670/0 ANc 593/2017/024 दिनांक:- 13/04/024  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
गजरौला, अमरोहा।

C-7

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, गजरौला, जनपद-अमरोहा के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बगद नाले का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं०-33/एन0पी0-24/जनरल-2024 दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार नगर पालिका परिषद गजरौला जनपद-अमरोहा से जनित अशोधित सीवेज बगद नाला/ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिससे परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ बगद नाला (नदी)/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है। 0

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, गजरौला, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, बगद नाला (नदी)/ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, गजरौला, अमरोहा द्वारा अधिशासी अधिकारी को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी, गजरौला, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीयेज के प्रादिकरण होने तक प्रतिमाह रूपसे 50 लाख प्रति घंटे की दर से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भक्तिय,




मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हसनपुर जनपद अमरोहा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7





4372

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Lifestyle for Environment

संदर्भ सं-09445 / सी-7/पिपि-669/0411-593/2017/024

दिनांक:- 13/04/24  
पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, बरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहे। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर निगम, बरेली के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित निम्न 06 नालों का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0-42/ओ0ए0-593/2017/24 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानानुसार नगर निगम, बरेली से जनित अशोधित ( Without treatment ) सीवेज निम्न 06 नालों के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ रामगंगा नदी/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम	अन्तिम निस्तारण (नदी)
1.	सुपर सिटी नाला	सम्मुख इंगित सभी 06 नालें नकटिया नाले में मिलते हैं जो कि अन्तः राम गंगा नदी में मिलती है।
2.	सनराईज कालोनी नाला	
3.	आशीष रॉयल पार्क नाला	
4.	रोयलखण्ड कालेज नाला	
5.	महानगर नाला 01	
6.	महानगर नाला 02	

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.in](http://www.uppcb.in)

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, बरेली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, उपरोक्त वर्णित 06 नालें जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, बरेली द्वारा नगर आयुक्त को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०-1109446 / सी-7/विपरीत-671/0.A-593/2017/024

दिनांक:- 13/04/24  
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
हसनपुर अमरोहा।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बगद नाले का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं०-32/एन0पी0-14/जनरल-2024 दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानानुसार नगर पालिका परिषद हसनपुर, जनपद-अमरोहा से जनित अशोधित सीवेज बगद नाला/ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ बगद नाला (नदी)/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है। 0

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, बगद नाला (नदी)/ड्रेन जो कि अनटैंड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in


अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, हसनपुर, अमरोहा द्वारा अधिशासी अधिकारी को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हसनपुर जनपद अमरोहा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7





**4376**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

C-3

संदर्भ संख्या H09438/सी-3./NGT-23/2024  
सेवा में,

दिनांक 13/04/2024

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, सहारनपुर,  
जनपद-सहारनपुर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के पत्रांक 30/OA-593/2017/2024/SRE दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से हिण्डन नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हिण्डन नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Kalyani Sales
2	Braj Transport Nala
3	Chawala Property Dealer - Hathi Gate
4	Taj Nalla
5	Chikana Nalla (Dhobi Ghat)
6	Kutti Rorad Drain
7	Suger mill Road Drain
8	Indra Basti 1 drain
9	Jamshaid Nai (Near Dhobi Ghat)
10	Pushpanjali Vihar Nala
11	Old Police Chowki Nala
12	Panjabi Barat Ghar
13	Brahmpuri Drain
14	Indra Basti 2 drain
15	Hanuman Mandir Ghanta Ghar
16	Numish camp - Aarti Tant House
17	Kapil Vihar near OHT
18	Indra Basti 3 drain
19	Bhagat Singh chowk ke samne
20	Ashu Sharma
21	Nalla Sadar Thany ky Piche
22	Near Jal Genera; store-Link Road
23	Near shiv Mandir (Dr Mehta)
24	Near Peer Pahalwan Pulia
25	Ansari road Near Dr. NeHa Clinic
26	Numish camp - Rikahaw stand

27	Jawahar Nagar, Bansal Publisher
28	Govind Nagar - Shrim Harimal Niwas
29	Pratap Clinic Jain college Road
30	Shiv Bagula Mukhi mandir drain
31	Kapil Vihar Drain
32	Natraj Drycliners
33	State Bank of Patiyala, Pul jogiyan
34	Near Vardan Hospital- Link Road
35	Govind Nagar - Shrim Ganga devi Niwas
36	Railway Drain
37	Gil colony Charch ky pass
38	Police up-Mahanirikshak Niwas
39	Karamchari Rajya Bima Nigam-Jain college Road
40	Jai Lakshmi Furniture House Malhipur Road
41	Swami Dental clinic
42	Dalmandi Pumping station
43	Kotwali Nala (left side of Paondhoi)
44	Deri Bagh drain
45	Numaish camp
46	Karlya Sahayak Chhetra Prabhandak
47	Parmesti Das Jewellers-Court Road
48	Baba Deep Garment Jain College Road
49	Govind Nagar - Shrim Mohan Niwas
50	Mayur service centre-Link Road
51	Nalla Near Hakikat Nagar Teraha
52	Rajdhani Plywood
53	Jogyan Pull near Ganpati cellphone
54	Opposite RamTirath school drain (leftside of Paondhoi)
55	Macchali Bazar
56	Bharti Dairy - Court Road
57	Satyoug Aashram Nala
58	Bijli Ghar Nala
59	Pathanpur - Ajmer Niwas
60	Sabzi Mandi Pull
61	Sharab Theka ky Samny
62	Khumran Pul Mandi ky Pass
63	Near Janak Hoter
64	Nala Near Taj Nala
65	Janta colony
66	Numaish camp V-Shape
67	Dukhi Bagh
68	Shanti Nagar-1

69	Shanti Nagar-2
70	Nalla Near Irrigation Land
71	Nand Vatika
72	Nand Vihar-1
73	Nand Vihar-2
74	Abdulla Colony
75	Nai Basti-1
76	Nai Basti-2
77	Badshahi Masjid
78	Radha vihar
79	New Gopal Nagar-1
80	New Gopal Nagar-2
81	Navyug Market
82	Valmiki Colony
83	Indra Camp
84	Near Janak Nagar
85	Below Railway Line
86	Gaddhe Wali Gali
87	Near Najirpura
88	Saket Colony
89	Punjabi Bhag-1
90	Punjabi Bhag-2
91	Punjabi Bhag-3
92	Near Police ground bhind STP

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ट्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ट्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी क

अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों से हिण्डन नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

Atul Singh Yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Singh Yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

o/c [Signature]

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09440/सी-3./NGT-23/2024  
सेवा में,

दिनांक 13/04/2024

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद कैराना,  
जनपद-शामली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 63/NPP kairana/Shamli/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Kairana Drain

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली द्वारा अधिसासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका

1. परिषद कैराना, जनपद-शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड/पार्शियली टैण्ड नालों से यमुना नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

Atulendra yadav -  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulendra yadav -  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

01/08/20

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09439/सी-3./NGT-23/2024  
सेवा में,

दिनांक 13/04/2024

अधिकांसी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद शामली,  
जनपद-शामली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 53/OA-593/पर्या सुरक्षा समिति/2024 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद शामली, जनपद-शामली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कृष्णी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Shamli Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद शामली, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली द्वारा अधिकांसी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका

1. परिषद शामली जनपद-शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड/पार्शियली टैण्ड नालों से कृष्णी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

*Atulesh Yadav*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Atulesh Yadav*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

01c *f g w*



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 9548 C-1/MGT-237/पर्यावृत्ति-का0ब0नो0/2024

Date: 16-4-24

सेवा में,

पंजीकृत

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (हवालिया ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (हवालिया ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु हवालिया ड्रेन हेतु रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु हवालिया ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

महोदय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



4386

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 109549/C-1/NGT-236/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024

Date: 16.4.24

सेवा में,

पंजीकृत

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (लखनावली ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (लखनावली ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु लखनावली ड्रेन रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फ़ैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु लखनावली ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



**4388**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Ref No. **109558-1** / ओ०ए०-593 / 2017 / एन०जी०टी / का०ब०नो० / 2024

Date: **16-4-24** .....

सेवा में,

पंजीकृत

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, दनकौर,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैंड नाले (भूरिया ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैंड नाले (भूरिया ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु भूरिया ड्रेन रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com) website: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e-mail : [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com) website: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

- यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु भूरिया ड्रेन हेतु  $5,00,000 \times 45 \text{ Months} = 2,25,00,000/-$  (रु० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

०१८

२

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

०१८

२



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-

10955

IC-1/MGT-238 / पर्यावरण-का0ब0नो0 / 2024

Date: 16-1-24

सेवा में,

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (डासना ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (डासना ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु डासना ड्रेन रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720826, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720826, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु डासना ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1